



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275776
CG-DL-E-27082026-275776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4557]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4557]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4742(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य के उधमपुर जिले में NH44 के कि.मी. 67 से कि.मी.89 (udhampur) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिलाधिकारी उधमपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के उधमपुर जिले में NH44 के कि.मी. 67 से कि.मी.89 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: उधमपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: उधमपुर					
गांव का नाम: बल्ली					
1	804	निजी	(बंजर कदीम अडा)	0.0657 (हेक्टेयर)	0.0657
2	805	निजी	(गैर मुमकिन बोली)	0.0625 (हेक्टेयर)	0.0625
3	806	निजी	(बंजर कदीम अडा, वरहल चांगी)	0.1552 (हेक्टेयर)	0.1552
4	822	निजी	(हैल, गैर मुमकिन कोठा)	0.0218 (हेक्टेयर)	0.0218
5	834	सरकारी	(खड्ड)	0.095 (हेक्टेयर)	0.095
6	835	निजी	(हैल, बंजर कदीम अडा)	0.2379 (हेक्टेयर)	0.2379
7	842	सरकारी	(गैर मुमकिन कोठा)	0.1673 (हेक्टेयर)	0.1673
8	Road	सरकारी	(रोड)	0.2685 (हेक्टेयर)	0.2685
Total					1.0739

[फा. सं. NHAI/PIU-Ramban/2019/11001/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2026

S.O. 4742(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH44 in the stretch of land from Km. 67 to Km. 89 (Deputy Commissioner Office Udhampur) in the district of UDHAMPUR in the state of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH44 in the stretch of land from Km. 67 to Km. 89 (Deputy Commissioner Office Udhampur) in the district of UDHAMPUR in the state of JAMMU & KASHMIR

State: JAMMU & KASHMIR			District: UDHAMPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Udhampur					
Village: bali					
1	804	Private	(Banjar Kadeem Ada)	0.0657 (Hectare)	0.0657
2	805	Private	(Gair Mumkin Boli)	0.0625 (Hectare)	0.0625
3	806	Private	(Banjar Kadeem Ada, Warhal Changi)	0.1552 (Hectare)	0.1552
4	822	Private	(Hail, Gair Mumkin Kotha)	0.0218 (Hectare)	0.0218
5	834	Government	(Khadd)	0.095 (Hectare)	0.095

6	835	Private	(Hail, Banjar Kadeem Ada)	0.2379 (Hectare)	0.2379
7	842	Government	(Gair Mumkin Kotha)	0.1673 (Hectare)	0.1673
8	Road	Government	(Road)	0.2685 (Hectare)	0.2685
Total					1.0739

[F. No. NHAI/PIU-Ramban/2019/11001/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director